प्रेषक,

गौरव शर्मा,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
/विशेष न्यायाधीश पी0सी0एक्ट–9,
लखनऊ।

सेवा में,

निबन्धक (न्यायिक)(सर्विसेस)
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वाराः माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

पत्रांकः लखनऊःदिनांकः

विषयः–ट्रेनिंग से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या–413/एडमिन.(सर्विसेस)/2019 दिनांकितःइलाहाबादः अगस्त 27, 2019 के द्वारा मुझे Management Development Progamme/Capacity Building Programe at Indian Institute of Public Administration (IIPA), New Delhi में दिनांक 16.09.2019 से 20.09.2019 तक प्रशिक्षण हेतु नॉमित किया गया है। उल्लेखनीय है कि **मेरी पत्नी नीतू पाठक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,** भ्र0नि0/विशेष न्यायाधीश,सी0बी0आई0 कोर्ट संख्या–1, लखनऊ, **की बायीं ऑख में तकलीफ होने के कारण दिनांक 06.09.2019 को ऑख का ऑपरेशन हुआ है। इसके पूर्व भी उसकी इसी बायीं ऑख में रेटीना सम्बन्धी बीमारी के कारण कमशः दिनांक 13.09.2017 एवं 20.03.2018** को दो आपरेशन हो चुके हैं। इस ऑपरेशन के उपरान्त **पूर्व मेडिकल इतिहास की गम्भीरता** के दृष्टिगत चिकित्सीय परामर्श के अनुसार सभी शारीरिक श्रम, धूल–मिट्टी, धूप इत्यादि से बचने हेतु उन्हें सावधानियॉ रखने हेतु निर्दिष्ट किया गया है, **जिसके कारण वह दिनांक 06.09.2019 से 20.06.2019 तक चिकित्सीय अवकाश पर हैं। परिवार में दो छोटे बच्चे कमशः साढ़े तीन वर्ष व 9 वर्ष के आयु के भी हैं। ऐसे में मुझे अपनी पत्नी की देखरेख करना है व परिवार का दायित्व भी मुझ पर आ गया है।**

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत मुझे Management Development Progamme/Capacity Building Programe at Indian Institute of Public Administration (IIPA), New Delhi में दिनांक 16.09.2019 से 20.09.2019 तक प्रशिक्षण से छूट प्रदान करते हुए मुझे किसी अन्य अवधि में प्रशिक्षण हेतु नॉमित करने की कृपा करें।

सादर।

3409/I-3/19 11/9/19

भवदीय,

दिनांकः09.09.2019

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
/विशेष न्यायाधीश पी0सी0एक्ट–9,
लखनऊ।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार